(138)

प्रतिलिपि आदेश पत्रिका दिनांक 27.02.2019 पारित द्वारा माननीय श्री मनोज गोयल, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र., ग्वालियर प्र. क्र. विविध 190/2019/भू.रा./भोपाल विरूद्ध आदेश दिनांक 15.01.2019 आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्र. क्र. 02RD01-APP-1760/0230/अपील/2017-18 (पुनर्विलोकन की अनुमति बावत)

म.प्र. शासन ....आवेदक

विरूद्ध

राम भरोसे आ. स्व. श्री हरचंद
आयु वयस्क
निवासी ग्राम कोटरा, तहसील हुजूर,
जिला भोपाल, म.प्र. ....अनावेदक

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध/190/2019/भूरा/भोपाल

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-02-19	आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल से प्राप्त पुनर्विलोकन अनुमति के प्रस्ताव में अनावेदक के अभिभाषक को सुना गया । अनावेदक के अभिभाषक का तर्क था कि तत्कालीन आयुक्त के द्वारा प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को दृष्टिगत रखते हुये विधिवत आदेश पारित किया गया है इसलिये इसको पुनर्विलोकन में लिये जाने के कोई पर्याप्त आधार नहीं है। 2/ प्रकरण में आयुक्त के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 29-05-2018 का अवलोकन किया गया जिसके माध्यम से कोटवार को दी गई सेवा भूमि पर अनावेदक को भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान किये गये हैं । प्रकरण के परीक्षण के उपरांत तथा भू-अभिलेखों के गतवर्ष की प्रविष्टियों को ध्यान में रखते हुये वर्तमान आयुक्त के द्वारा प्रथमदृष्टया यह पाया गया है कि उक्त भूमि वर्ष 2017-18 में भू-अभिलेखों में मध्यप्रदेश शासन सेवा भूमि के नाम से दर्ज रही है । आयुक्त के प्रस्ताव दिनांक 15-01-2019 में उल्लिखित आधारों को देखते हुये प्रथमदृष्टया ही पुनर्विलोकन किये जाने के पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं अत: प्रकरण क्रमांक 230/अपील/2017-18 में आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-05-2018 के पुनर्विलोकन में लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। अध्यक्ष	